FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ (अजमेर)

श्री लक्ष्मण पुत्र श्री घीसू सिंह उम्र बालिग निवासी हाउसिंग बोर्ड मदनगंज तहसील किशनगढ जिला अजमेर ।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर

– प्रतिवादी

- किस्म मुकदमा – राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, राज.का.अधि. 1955

दर्ज क्रमांक 153 / 2025

ऑन लाईन नंबर 2025 /

वकील वादी– श्री अभिषेक सिंह वकील प्रतिवादीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08/7/25	यह वाद पत्र वादी की ओर से अधिवक्ता प्रार्थी श्री अभिषेक सिंह ने अन्तर्गत धारा 88, राज.का अधि. 1955 के तहत् पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 26/8/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)	
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वास्ते सरकार जवाब पत्रावली। आगे 15/10/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
15/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी अनुपस्थित। वकील वादी व वादी अनु। वकील वादी व वादी को आज 02:00 बजे तक रोक रोक कर तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे हैं नाही अन्य कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ है अतः वादी का वाद आदेश 09 नियम 03 CPC के तहत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निष्पक्ष शुद्ध होकर नस्ती कर दो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	